

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4474

परिशिष्ट "अ"

क्र	योजना का नाम	पात्रता की शर्तें
1	2	4
भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ		
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	• 60 वर्ष से 64 वर्ष आयु के बी.पी.एल वृद्ध • 65 से 79 आयु के बी.पी.एल वृद्ध • 80 वर्ष से अधिक आयु के बी.पी.एल.वृद्ध
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	• 40 से 79 वर्ष आयु की बी.पी.एल. विधवा महिला *
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	• 18 से 79 वर्ष आयु के बी.पी.एल. निःशक्तजन जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत या अधिक हो *
राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएँ		
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	• 60 से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध • 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा बीपीएल महिलाएँ • 18 से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त बीपीएल महिलाएँ • 06 से 18 वर्ष आयु के निःशक्त जो स्कूल में अध्ययनरत हों तथा वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हों तथा जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत अथवा अधिक हो ।
5	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	ऐसे दंपति (पति/पत्नी दोनों में से एक की आयु 60 वर्ष होने पर) जिनकी आयु 60 वर्ष हो जो आयकरदाता न हो तथा जिन्हें संतान के रूप में मात्र बेटी/बेटियाँ हो ।

* नोट :- 80 वर्ष से अधिक आयु के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के हितग्राहियों को रु. 500/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जाती है ।



उप संचालक(सा0सहा0)

वास्ते-संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन

कल्याण, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4474

क्र	योजना का नाम	दिये जाने वाला लाभ	आयु
1	2	3	5
भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ			
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	रुपये 200/-प्रतिमाह रुपये 275/-प्रतिमाह रुपये 500/-प्रतिमाह	60 से 64 वर्ष आयु के बीपीएल वृद्ध 65 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल वृद्ध 80 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल वृद्ध
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	रुपये 300/-प्रतिमाह	40 से 79 वर्ष आयु की बीपीएल विधवा महिला *
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	रुपये 300/-प्रतिमाह	18 से 79 वर्ष आयु के बीपीएल निःशक्त हितग्राही जिनकी निःशक्तता 80 प्रतिशत या अधिक हो *
राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाएँ			
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रुपये 150/-प्रतिमाह	• 60 से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध • 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा बीपीएल महिलाएँ • 18 से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त बीपीएल महिलाएँ • 06 से 18 वर्ष आयु के निःशक्त जो स्कूल में अध्ययनरत हों तथा वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से हों तथा जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत अथवा अधिक हो ।
5	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	रुपये 500/-प्रतिमाह	ऐसे दंपति (पति/ पत्नी दोनों में से एक की आयु 60 वर्ष होने पर) जिनकी आयु 60 वर्ष हो, जो आयकरदाता न हो तथा जिन्हें संतान के रूप में मात्र बेटी/ बेटियाँ हो ।

* नोट :- 80 वर्ष से अधिक आयु के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के हितग्राहियों को रु. 500/- प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन प्रदाय की जाती है ।

उप संचालक(सा0सहा0)
वास्ते-संचाल सामाजिक न्याय एवं
निःशक्तजन कल्याण,म.प्र.

परिशिष्ट "स"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 4474
विधान सभा क्षेत्र पथरिया के पेंशन हितग्राहियों की जानकारी

क्र	योजना का नाम	ग्रामीण क्षेत्र पथरिया	नगरीय क्षेत्र पथरिया	ग्रामीण क्षेत्र बटियागढ़	योग
1	2	3	4	5	6
1	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	2591	1230	3526	7347
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	2561	528	3093	6182
3	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना	537	39	465	1041
4	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1353	625	848	2827
5	मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना	36	05	26	67
	योग	7078	2428	7958	17464



उप संचालक(सा0सहा0)
वास्ते-संचालक
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, मध्यप्रदेश